

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.सं.(नि.)विविध-08/12:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री शुक्का उराँव, सहायक अभियंता द्वारा निलंबित अवस्था में जल संसाधन विभाग, बिहार पटना से विरमित होकर जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची में योगदान दिया गया था।

2. श्री उराँव को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।
3. इनकी पदस्थापना संबंधी कार्रवाई प्रबंधन कोषांग द्वारा की जायेगी।
4. इस आदेश पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
5. श्री उराँव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 5086

/राँची, दिनांक:- 21/04/14 /

प्रतिलिपि:- महालेखाकार झारखंड राँची/माननीया मंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(प्र.), जल संसाधन विभाग, राँची/श्री शुक्का उराँव, ग्राम-बजरा खक्सी टोली, पो.-हेहल, राँची-834005/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव (प्र.) से अनुरोध है कि श्री उराँव की पदस्थापना संबंधी कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ. लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

21.04.14